मेधावी छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला द्वारा संचालित कक्षा पांचवीं की वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक शिक्षा खंड में प्रथम चार स्थान पाने वाले विद्यार्थियों (दो छात्र एवं दो छात्राओं) को छात्रवृति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति लाभ निम्नानुसार देय होगाः–

कक्षा छठी से आठवीं	मु0 1200/– रू0 (बारह सौ केवल) प्रति विद्यार्थी/वार्षिक

पात्रता शर्तेः–

1. उक्त छात्रवृति को प्राप्त करने के लिए मात्र उन्हीं छात्र/छात्राओं की पात्रता मान्य होगी जो विद्यार्थी छठी कक्षा में हिमाचल प्रदेश की किसी सरकारी पाठशाला में अध्ययनरत हों।
2. चयनित छात्रों को यह छात्रवृत्ति सातवीं तथा आठवीं कक्षा में भी देय होगी यदि वे पिछली कक्षा में पूर्णतया उत्तीर्ण हों तथा सातवीं तथा आठवीं में भी सरकारी पाठशाला में ही अध्ययनरत् हों।
3. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी का **आधार नम्बर सम्बद्ध (Aadhar seeded) चालू बैंक खाता** उपलब्ध होना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेजः–

1. खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र की विद्यार्थी द्वारा कक्षा पांचवीं की वार्षिक परीक्षा में खंड में प्रथम अथवा द्वितीय स्थान अर्जित किया गया है।
2. कक्षा सातवीं तथा आठवीं में होने पर इस आशय का प्रमाण पत्र की लाभार्थी पिछली कक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण है।
3. इस आशय का प्रमाणपत्र की सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में लाभार्थी उसी सरकारी पाठशाला में अध्ययनरत् रहा/रही है जहां से उसने छात्रवृत्ति के लिये आवेदन किया है।
4. इस आशय का प्रमाणपत्र की सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में लाभार्थी ने किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है।
5. आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
6. चालू बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की, खाता संख्या एवं आईएफएस कोड सहित, सत्यापित छायाप्रति।

Director
Elementary Education
Himachal Pradesh

राज्य प्रायोजित छात्रवृत्तियों के सन्दर्भ में सामान्य दिशा–निर्देश :–

1. उक्त सभी छात्रवृत्ति योजनाएं केवल सरकारी पाठशालाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों पर ही लागू होंगी।

2. छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ही किया जाएगा।

3. मेधावी छात्रवृत्ति तथा स्वर्ण जयन्ती मिडिल मैरिट छात्रवृत्ति के अन्तर्गत लगातार तीन वर्ष तक छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करते रहने हेतु चयनित विद्यार्थी का निरन्तर तीन वर्ष तक (छठी से आठवीं तक) सरकारी पाठशाला में ही अध्ययनरत् रहना आवश्यक होगा।

4. जिस शैक्षणिक सत्र के लिये विद्यार्थी छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करना चाहता है उस सत्र में उसे पाठशाला में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति भी सुनिश्चित करनी होगी। केवल गंभीर चिकित्सीय कारणों की स्थिति में ही इस शर्त में छूट प्रदान की जाएगी।

5. एक विद्यार्थी एक समय में केवल एक छात्रवृत्ति का ही लाभ प्राप्त कर पायेगा।

6. यदि मेधावी छात्रवृत्ति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र विद्यार्थी स्वर्ण जयन्ती मिडिल मैरिट छात्रवृत्ति के अन्तर्गत भी चयनित होता है तथा स्वर्ण जयन्ती मिडिल मैरिट छात्रवृत्ति के अन्तर्गत ही लाभ लेना चाहता है, अथवा विपरीत क्रम में भी हो, तो उससे इस आशय का विकल्प लिया जाए तथा जो छात्रवृत्ति लाभार्थी द्वारा छोड़ी गई उसमें मैरिट क्रम में अगला विद्यार्थी लाभ हेतु पात्र होगा।

7. छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों को विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सभी दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूर्ण करना होगा।

<u>उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा से जिला स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई:–</u>

1. समस्त उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा यह सुनिश्चित करेंगे कि विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार उनके अधीन समस्त खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों तथा प्रधानाचार्यों/मुख्यअध्यापकों/केन्द्रीय मुख्य शिक्षकों के माध्यम से समय पर पात्र लाभार्थियों के आवेदन भर कर उचित स्तर तक आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु पहुंचें।

2. समस्त उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पात्र/चयनित विद्यार्थियों के आवेदन तथा आबंटित लाभ से सम्बन्धित पूर्ण रिकार्ड/सूचना अपने कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखें ताकि लेखा परीक्षा के समय कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा निदेशालय द्वारा लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने की स्थिति में तुरन्त सूचना निदेशालय में प्रस्तुत की जा सके।

3. जो भी सूचना खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अथवा तथा प्रधानाचार्यों/मुख्यअध्यापकों/केन्द्रीय मुख्य शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त कर निदेशालय को प्रेषित की जानी होगी, सम्बन्धित उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर उसकी पुष्टि/सत्यापन करेंगे।

4. छात्रवृत्ति योजनाओं का पाठशाला स्तर तक सही रूप में तथा समयानुसार कियान्वयन करवाना सम्बन्धित उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होगा।

5. उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अपने जिले में सरकार/ विभाग द्वारा चलाई जा रही समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं का भरपूर प्रचार प्रसार करें ताकि विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को इस योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा सके।

Director
Elementary Education
Himachal Pradesh

खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से खंड स्तर पर अपेक्षित कार्रवाईः–

1. खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार उनके खंड के समस्त प्रधानाचार्यों/ मुख्यअध्यापकों/केन्द्रीय मुख्य शिक्षकों के माध्यम से समय पर पात्र लाभार्थियों के आवेदन भर कर उचित स्तर तक आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु पहुंचें।

2. समस्त खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पात्र/चयनित विद्यार्थियों के आवेदन तथा आबंटित लाभ से सम्बन्धित पूर्ण रिकार्ड/सूचना अपने कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखें ताकि लेखा परीक्षा के समय कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने की स्थिति में सूचना तुरन्त प्रस्तुत की जा सके।

3. जो भी सूचना प्रधानाचार्यों/मुख्यअध्यापकों/केन्द्रीय मुख्य शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त कर उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय को प्रेषित की जानी होगी, सम्बन्धित खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर उसकी पुष्टि/सत्यापन करेंगे।

4. प्रत्येक शिक्षा खंड में छात्रवृत्ति योजनाओं का पाठशाला स्तर तक सही रूप में तथा समयानुसार कियान्वयन करवाना सम्बन्धित खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

5. खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अपने शिक्षा खंड में सरकार/ विभाग द्वारा चलाई जा रही समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं का भरपूर प्रचार प्रसार करें ताकि विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को इस योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा सके।

विद्यालय स्तर पर अपेक्षित कार्रवाईः–

1. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/मुख्यअध्यापक/केन्द्रीय मुख्य शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र लाभार्थियों के आवेदन समय पर भर कर उचित स्तर तक आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु पहुंचें।

2. पात्र/चयनित विद्यार्थियों के आवेदन तथा आबंटित लाभ से सम्बन्धित पूर्ण रिकार्ड/सूचना अपने कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखें ताकि लेखा परीक्षा के समय कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा लेखा परीक्षा हेतु मांगे जाने की स्थिति में सूचना तुरन्त प्रस्तुत की जा सके।

3. जो भी सूचना आगामी कार्रवाई हेतु भेजी जानी होगी, विद्यालय प्रमुख पहले अपने स्तर पर उसकी पुष्टि/सत्यापन करेंगे।

4. पाठशाला स्तर पर सही रूप में तथा समयानुसार छात्रवृत्ति योजनाओं का कियान्वयन करवाना पाठशाला प्रमुख का उत्तरदायित्व होगा।

5. विद्यालय प्रमुख सरकार/ विभाग द्वारा चलाई जा रही समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के विषय में प्रातःकालीन प्रार्थना सभाओं में समस्त विद्यार्थियों तथा विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से समस्त अभिभावकों को पूर्ण जानकारी दें ताकि सभी विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को इस योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा सके।

Director
Elementary Education
Himachal Pradesh